



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

Phone & Fax. .2385027

E-ID-rajpr.dsplan@rajaathan.gov.in

क्रमांक:एफ.4(0)परावि/आप्र/संस्था/बीएफसी/2018-19/499

दिनांक 16.9.019

**::आदेश::**

महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा मुख्य आयोजना अधिकारी कार्यालयों में विभागीय बजट मद 2515-00-001-(08)-[01] में स्वीकृत 66 सहायक सांख्यिकी अधिकारियों के पदों में से 33 पद (प्रत्येक जिले में एक-एक) निम्नानुसार समाप्त किये जाते हैं:-

क्र. सं.	नाम पद	मुख्य आयोजना अधिकारी कार्यालय	पदों की संख्या			वेतन लेवल/ग्रेड पे	बजट मद
			पूर्व में स्वीकृत पद	पद समाप्त	शेष पद		
1.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	1.अजमेर	2	1	1	(9300-34800 ग्रेड पे 4200/- एवं पे लेवल -11)	मांग संख्या-41 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम 001-निदेशन एवं प्रशासन (08)जिला आयोजना समिति कर्मचारी वर्ग (आयोजना भिन्न)
		2 अलवर	2	1	1		
		3.बांरा	2	1	1		
		4.बांसवाडा	2	1	1		
		5.बाडमेर	2	1	1		
		6.बूंदी	2	1	1		
		7.भरतपुर	2	1	1		
		8.बीकानेर	2	1	1		
		9.भीलवाडा	2	1	1		
		10.चित्तौडगढ	2	1	1		
		11.चुरु	2	1	1		
		12.डूंगरपुर	2	1	1		
		13.दौसा	2	1	1		
		14.धौलपुर	2	1	1		
		15.जयपुर	2	1	1		
		16.जोधपुर	2	1	1		
		17.जालोर	2	1	1		
		18.जैसलमेर	2	1	1		
		19.झालावाड	2	1	1		
		20.झुन्झुनु	2	1	1		
		21.हनुमानगढ	2	1	1		
		22.गंगानगर	2	1	1		
		23.करोली	2	1	1		
		24.कोटा	2	1	1		
		25.नागौर	2	1	1		
		26.पाली	2	1	1		
		27.प्रतापगढ2	2	1	1		

	28.राजसमन्द	2	1	1		
	29.टोंक	2	1	1		
	30.सिरोही	2	1	1		
	31.सवाई माधोपुर	2	1	1		
	32.उदयपुर	2	1	1		
	33.सीकर	2	1	1		
	कुल	66	33	33		

उक्त आदेश वित्त विभाग की आईडी संख्या 331800904 दिनांक 9.5.2019 के अनुसरण में जारी किये जा रहे हैं तथा जारी करने की दिनांक से प्रभावी होंगे।

(आशुतोष ए.टी.पेडणेकर)  
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि:-

- 1.विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 2.निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 3.निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग।
- 4.अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव प्रशा.2 पंचायती राज विभाग।
- 5.संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
- 6.संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-5) विभाग शासन सचिवालय जयपुर।
- 7.संयुक्त शासन सचिव, जिला आयोजना।
- 8.निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग जयपुर।
- 9.निदेशक, निरीक्षण विभाग, राज0 जयपुर।
- 10.वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग को आई एफएमएस में दर्ज करने बाबत।
- 11.मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त।
- 12.आहरण एवं वितरण अधिकारी पंचायती राज विभाग।
- 13.संयुक्त निदेशक (मॉ0) पंचायती राज विभाग।
- 14.एनालिस्ट कम प्रोग्रामर पंचायती राज विभाग को विभागीय वेबसाईट पर दर्ज करने हेतु।
- 15.मुख्य आयोजना अधिकारी समस्त को कार्यालय में कनिष्ठ कार्मिक को पैतृक विभाग के लिये कार्यमुक्त करने हेतु।
- 16.रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त एवं  
संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.2)